न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनीता मीणा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2025 दायर तारीख :– 22.01.2025

1. माफी मंदिर श्री सीतारामजी जरिये पुजारी कैलाश चन्द ब्राहमण पुत्र नाथूलाल जाति ब्राहमण निवासी किशनगढ रेनवाल तह0 कि0 रेनवाल

—— प्रार्थी

बनाम

1. माफी मंदिर गोपीनाथ जी जरिये पुजारी पुरूषोत्तम पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी किशनगढ रेनवाल
2. उत्तम चन्द पुत्र मंगला
3. केदारमल पुत्र मंगला
   जाति कुम्हार निवासी कि0 रेनवाल
4. छीतरमल शेरावत पुत्र हनुमान शेरावत जाति जाट निवासी कि0 रेनवाल
5. जगदीश पुत्र नारायणलाल जाति जाट निवासी ड्योढया रामसिंहपुरा कि0 रेनवाल
6. रामेश्वरी देवी पत्नी मोतीलाल (फौत)
7. प्रहलाद पुत्र मोतीलाल
8. भंवरलाल पुत्र मोतीलाल
9. गणेशीलाल पुत्र मोतीलाल
10. केसरराम पुत्र गोमाराम
11. नारायण पुत्र गोमाराम
12. मेवाराम पुत्र गोमाराम
13. हीराराम पुत्र गोमाराम
    समस्त जाति जाट निवासी मुण्डलीरणजीतपुरा
14. तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

—— अप्रार्थी

उपस्थित : श्री शंकरलाल काजला , अधिवक्ता प्रार्थी

राज पेरोकार

प्रार्थना पत्र बाबत 128,111 एल0आर0 एक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक : 27/06/25

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खं0नं0 236 रकबा 5.9811 हैक्टैयर ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल भू0अ0नि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज है और अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है उक्त खातेदारी भूमि के उत्तर व उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण दिशा के पडोसी खातेदारान अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 236 की सीमाओं को तोडफोड करते रहते है तथा प्रार्थी की भूमि में कचरा, गोबर,छडियां डालकर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण करने की कोशिश करते रहते है। जिससे आयेदिन लडाई झगडा होने की संभावना बनी रहती है। प्रार्थी ने पडौसी खातेदारान से परेशान होकर अपने आराजी खसरा नम्बर 236 किता 1 रकबा 5.9811 हैक्टैयर की वास्तविक सीमाए ज्ञात कर सीमाचिन्ह लगाने के लिए सीमाज्ञान करवा जिसकी विवरण प्रार्थना पत्र में है। पटवार हल्का ने श्रीमान तहसीलदार के आदेश अनुसार सीमाज्ञान कर सीमा चिन्ह कायम किये है। सीमाज्ञान रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार महोदय कि0 रेनवाल के समक्ष प्रस्तुत की। मुताबिक सीमाज्ञान अप्रार्थीगण को पत्थरगढी करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने पत्थगर गढी से मना कर दिया मुताबिक सीमाज्ञान के प्रार्थी सीमा पर पत्थरगढी करने लगा तो अप्रार्थी ने प्रार्थी के साथ झगडा किया और सीमा पर पत्थरगढी नहीं करने दी तो प्रार्थी ने सीमाज्ञान के आधार पर पत्थर गढी करवाने के लिए तहसीलदार महोदय से निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय कि0 रेनवाल ने उपखण्ड अधिकारी कि0 रेनवला पत्थरगढी के आदेश लाने के लिए कहा इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 बावजूद सूचना हाजिर नहीं हुये अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

है। अप्रार्थी सं0 1 ने उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने में अनापत्ति व्यक्त की । अप्रार्थी संख्या 14 पैरोकार सरकार है जिसकी ओर से फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2024 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रकरण संक्षिप्त विचारण का प्रकरण है इसलिए अप्रार्थी सं0 14 का पृथक से जवाब प्रा0पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी, नकल फर्द सीमाज्ञान दिनांक 12.12.2024 की प्रति आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थीया ने अपनी आराजी की पत्थर गढ़ी बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीया ने अपनी आराजी का दिनांक 12.12.2024 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवा रखा है जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान पत्रावली में संलग्न है तथा प्रार्थीया को अपनी आराजीयात की मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये जाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थीया की आराजी की पत्थरगढ़ी की जाना न्यायोचित समझता है।
5. प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 खसरा नम्बर 236 किता 1 कुल रकबा 5.9811 हैक्टैयर वाके ग्राम रेनवाल पटवार हल्का रेनवाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 का उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पुलिस इमदाद की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/6/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुनीता मीणा (आर0ए0स0)
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल